

परिपत्रक - 13/14/16 दिनांक 26-01-2014

पत्र सं०-विधि-4(3)/सामा०निर्देश-2013-14/ 1435

/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर

(विधि-अनुभाग)

उत्तर प्रदेश

लखनऊ :: दिनांक : 17 जनवरी, 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर

वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

शासन द्वारा अधिसूचना सं० क०नि०-2-42/ग्यारह -9(1) 2008-यू.पी.एक्ट-5-2008-आर्डर-(108)-2014 दिनांक 10 जनवरी, 2014 जारी करते हुए सभी प्रकार के लुब्रीकेन्ट्स को 30प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के Schedule-IV में प्रख्यापित कर दिया गया है साथ ही पंजीकृत व्यापारी की औद्योगिक इकाई को वैटैबिल करयोग्य माल के निर्माण प्रक्रिया में प्रयोग के लिए कमिशनर वाणिज्य कर द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र के विरुद्ध बिक्री किए जाने की दशा में 5% की दर से करदेयता अवधारित की गयी है। साथ ही इससे पृथक स्थिति में 21% की दर से करदेयता अवधारित की गयी है।

उपरोक्त अधिसूचना के प्राविधानों का क्रियान्वयन करने के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप फार्म-डी निर्धारित किया जाता है। यह फार्म-डी मुख्यालय के परिपत्र सं०-वैट अनुभाग फार्म-डी रख-रखाव /07-08 / 680 / वाणिज्य कर दिनांक 13-03-2008 द्वारा निर्धारित किया गया था, जो उसी प्रारूप तथा रखरखाव की प्रक्रिया के सहित उपरोक्त शासकीय विज्ञप्ति के प्रयोजनार्थ भी लागू रहेगा। फार्म-डी में जहाँ "यू०पी०वैट अध्यादेश, 2007 शिड्यूल-IV के क्रमांक 6(a), 9(a), 10(a), 11(a) देखें" लिखा है उसके स्थान पर "यू०पी०वैट अधिनियम, 2008 शिड्यूल-IV के क्रमांक 4(a), 7(a), 8(a), 8(b), 9(a), 15(a) देखें" लिखा जाएगा। उपरोक्तानुसार अवधारित फार्म डी की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

उपरोक्त संशोधन के साथ प्रचलित फार्म-डी का प्रयोग किया जाएगा तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फार्म-डी पर ईई सीरीज के टिकट लगाकर प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त से समस्त कर निर्धारण अधिकारियों / व्यापारिक संघों / अधिवक्ता संघों को भिन्न कराते हुए, इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

Mu 27.1.2014
(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिशनर वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश

यू०पी०वैट एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- (1) माननीय अध्यक्ष, 30प्र० राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, 30प्र० शासन, लखनऊ।
- (2) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अधिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (4) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (5) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, 30प्र०।
- (6) समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, 30प्र०।
- (7) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर, 30प्र० मुख्यालय लखनऊ।
- (8) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०/ अपील), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक / वि०अनु०शा०/ अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (10) समस्त डिप्टी कमिशनर / असिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (क०नि०) / वि०अनु०शा०/स०प०) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (11) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (12) महालेखाकार, छठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
- (13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (14) प्रबन्धक, इन्फोटेक, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (15) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए०जी०आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (17) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (18) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमि०/असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्यग्राजियाबाद।
- (19) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी (कमि०/असि०कमि०/अ०न्या०कार्य०) लखनऊ/इलाहाबाद।
- (20) मैनूअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5-5 तथा 10 प्रतियों में।

- (21) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ ।
- (22) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
- (23) अध्यक्ष, 30प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वेल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बांसमण्डी, लखनऊ ।
- (24) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ ।
- (25) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) 30प्र0 ।
- (26) श्री श्याम बिहारी मिश्र, 30प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
- (27) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, 30प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ ।
- (28) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ ।
- (29) मर्चेंट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
- (30) एसोसियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
- (31) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
- (32) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड, लखनऊ ।
- (33) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद ।
- (34) कन्फेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर, लखनऊ ।
- (35) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य0) के माध्यम से ।
- (36) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स कॉम्प्लेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
- (37) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद ।
- (38) श्री शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि 30प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर ।
- (39) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 30प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
- (40) प्रो0 डा0 भुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ।
- (41) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (42) डा0 छेवी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
- (43) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी ।
- (44) श्री अशोक धवन सी के -24/1, कुँजगली, चौक, वाराणसी ।
- (45) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (46) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) 30प्र0 टूक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलवाल मण्डी सहारनपुर ।
- (47) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
- (48) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0जा0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (49) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल 30प्र0 प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (50) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर ।
- (51) संयोजक, टैक्सेशियों ऐकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (52) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाउस, आगरा ।
- (53) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर ।
- (54) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (55) श्री दिनेश अरोरा 30प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (56) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष 30प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (57) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रांतीय संगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी0-बी-29, विधायकनिवास, दारुल सफा, लखनऊ ।
- (58) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी व्यापारी सभा, 30प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।
- (59) श्री दिनेश चन्द्र मिश्र, उपाध्यक्ष 30प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, 30 बी0एन0रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवाला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस ।
- (63) सर्वश्री दि किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उर प्रदेश टैक्सवार एसोसिएशन, सीताराम, आजमगढ़ (30प्र0)
- (65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, 30प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- (66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।
- (67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर, गाजियाबाद ।
- (69) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन, 103 बी प्रतिभा तीर्थ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
- (70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
- (71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0) ।
- (72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड ।

- (73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा ।
(74) अध्यक्ष , राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)
(75) अध्यक्ष, यू0पी0मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (रजि0) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर ।
(76) अध्यक्ष/सचिव, वेस्टर्न यू0पी0चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बाम्बे बाजार , मेरठ ।
(77) अध्यक्ष / महासचिव महानगर टैक्स बार एसोसिएशन (रजि0) गाजियाबाद
(78) प्रेसीडेन्ट/सचिव, यू0पी0शुगर मिल्स एसोसिएशन, 403, चिल्टेन हाउस, 16, स्टेशनरोड, लखनऊ ।
(79) अध्यक्ष /महासचिव आल इण्डिया फैडरेशन आफ टैक्स प्रैक्टीशनर्स , नवयुग मार्केट , गाजियाबाद

(योगेन्द्र कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

क्रम संख्या

1. फार्म डी व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाइण्डेड बुक में रखा जाएगा।
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए क्रमांक 00001 से प्रारम्भ होकर क्रमागत रहेगा।
3. यह प्रमाण पत्र तीन प्रतियों (मूल , द्वितीय एवं प्रतिपण) में रखा जाएगा।
4. मूल/द्वितीय प्रति विक्रेता को खरीद करते समय जारी किया जाएगा।
- 5- प्रतिपण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जाएगा।
- 6- मूल प्रति पर कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय बिक्री की सूची के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
- 7- द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने पास रखी जाएगी।
- 8- फार्म व्यापारी स्वयं ही एच साइज में प्रिन्ट करवाएगा और बुकलेट पचास फार्म की होगी।
- 9- फार्म डी जारी करने से पूर्व कर निर्धारक अधिकारी से मूल प्रति पर प्रतिहस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा।
- 10- प्रयुक्त फार्म डी का विवरण निर्धारित प्रारूप में व्यापारी द्वारा दो प्रतियों में रखा जाएगा तथा एक प्रति कर निर्धारण अधिकारी को फार्म की आगे बुकलेटों पर प्रतिहस्ताक्षर कराने के पूर्व प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात् फार्म डी कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे तथा पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे व नाम/पदनाम की मोहर लगायेंगे। व्यापारी द्वारा रखे गये उक्त विवरण की व्यापारी की प्रति पर भी कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपनी मोहर लगाते हुए हस्ताक्षर करेंगे।
- 11- एक फार्म डी में अधिकतम एक माह के संयवहार का इन्द्राज किया जा सकता है जिसकी अधिकतम मौद्रिक सीमा रु 10 लाख होगी परन्तु 25 करोड़ वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारी, राज्य सरकार/भारत सरकार के विभाग तथा राज्य सरकार/भारत सरकार के उपक्रम/निगम/कम्पनी के लिए उपरोक्त मौद्रिक सीमा लागू नहीं होगी।
- 12- फार्म डी पर हस्ताक्षर केवल वही व्यक्ति करेंगे जिनका उल्लेख उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-32(6) में है अथवा टैक्स इन्वायस को अभिप्रमाणित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

पृष्ठ भाग
सेल/टैक्स इनवाइस के विवरण की गयी खरीद की सूची

क्र/सं०	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता	फार्म-डी की संख्या	टिन	सेल/टैक्स इनवाइस की संख्या	सेल/ टैक्स इनवाइस की दिनांक	वस्तुओं के विवरण			वस्तुओं का कर योग्य मूल्य	वसूले गए कर की राशि	इन्वाइस की कुल धनराशि
						नाम	कोड	मात्रा/माप			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता
तिथि

फार्म-डी

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(यू.पी. वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-IV के क्रमांक 4(a), 7(a), 8(a), 8(b), 9(a), 15(a) देखें)

करयोग्य वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त वस्तुओं के लिए प्रमाण पत्र

(द्वितीय प्रति- विक्रेता व्यापारी के लिए)

बुक संख्या

क्रम संख्या -----

[illegible]

खरीद का विवरण

क्र०सं०	माह का नाम	वस्तुओं का नाम	माप/मात्रा	सेल/टैक्स इन्वाइस की धनराशि	कर की धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6	7
Total in words :						
Total in figure:						

घोषणा

मै पुत्र / पुत्री / पत्नी प्रास्थिति

.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर तथा इस प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग में दी गयी सूचनायें मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही है।

स्थानः

हस्ताक्षर

तिथि :

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम

मुहरः

नोट: फार्म के रखरखाव / प्रयोग की प्रक्रिया

1. फार्म डी व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाण्डेड बुक में रखा जाएगा ।
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए क्रमांक 00001 से प्रारम्भ होकर क्रमागत रहेगा ।
3. यह प्रमाण पत्र तीन प्रतियों (मूल , द्वितीय एवं प्रतिपण) में रखा जाएगा ।
4. मूल/द्वितीय प्रति विक्रेता को खरीद करते समय जारी किया जाएगा ।
5. प्रतिपण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जाएगा ।
6. मूल प्रति पर कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय बिक्री की सूची के साथ प्रस्तुत किया जाएगा ।
7. द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने पास रखी जाएगी ।
8. फार्म व्यापारी स्वयं ही ए-4 साइज में प्रिन्ट करवाएगा और बुकलेट पचास फार्म की होगी ।
9. फार्म डी जारी करने से पूर्व कर निर्धारक अधिकारी से मूल प्रति पर प्रतिहस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा ।
10. प्रयुक्त फार्म डी का विवरण निर्धारित प्रारूप में व्यापारी द्वारा दो प्रतियों में रखा जाएगा तथा एक प्रति कर निर्धारण अधिकारी को फार्म की अगले बुकलेटों पर प्रतिहस्ताक्षर कराने के पूर्व प्रस्तुत करेगा । तत्पश्चात् फार्म डी कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे तथा पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे वे नाम/पदनाम की मोहर लगायेंगे । व्यापारी द्वारा रखे गये उक्त विवरण की व्यापारी की प्रति पर भी कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपनी मोहर लगाते हुए हस्ताक्षर करेंगे ।
11. एक फार्म डी में अधिकतम एक माह के संव्यवहार का इन्द्राज किया जा सकता है जिसकी अधिकतम मौद्रिक सीमा रु0 10 लाख होगी परन्तु 25 करोड़ वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारी, राज्य सरकार/भारत सरकार के विभाग तथा राज्य सरकार/भारत सरकार के उपक्रम/निगम /कम्पनी के लिए उपरोक्त मौद्रिक सीमा लागू नहीं होगी ।
12. फार्म डी पर हस्ताक्षर केवल वही व्यक्ति करेंगे जिनका उल्लेख 30अ0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-32(6) में है अथवा टैक्स इन्वायस को अभिप्रमाणित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(यू.पी. वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-IV के क्रमांक 4(a), 7(a), 8(a), 8(b), 9(a), 15(a) देखें)

करयोग्य वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त वस्तुओं के लिए प्रमाण पत्र

(प्रतिपण - क्रेता व्यापारी के लिए)

बुक संख्या

क्रम संख्या -----

		क्रम संख्या
1	क्रेता का नाम व पता	
2	दिन	प्रभावी तिथि
3	कर निर्धारण वर्ष	
4	माह का अंतिम दिनांक	
5	विक्रेता का नाम व पता	
6	दिन	प्रभावी तिथि

खरीद का विवरण

खराप का विवरण						
क्र०सं०	माह का नाम	वस्तुओं का नाम	माप/मात्रा	सेल/टैक्स इन्वाइस की धनराशि	कर की धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6	7
Total in words :						
Total in figure:						

घोषणा

मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी प्रास्थिति

जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही है।

स्थानः

हस्ताक्षर

तिथि :

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम

भूहरः

नोट: फार्म के रखरखाव / प्रयोग की प्रक्रिया

1. फार्म डी व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाइण्डेड बुक में रखा जाएगा।
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए क्रमांक 0000) से प्रारम्भ होकर क्रमागत रहेगा।
3. यह प्रमाण पत्र तीन प्रतियों (मूल , द्वितीय एवं प्रतिपण) में रखा जाएगा।
4. मूल/द्वितीय प्रति विक्रेता को खरीद करते समय जारी किया जाएगा।
- 5- प्रतिपण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जाएगा।
- 6- मूल प्रति पर कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय बिक्री की सूची के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
- 7- द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने पास रखी जाएगी।
- 8- फार्म व्यापारी स्वयं ही ए-4 साइज में प्रिन्ट करवाएगा और बुकलेट पचास फार्म की होगी।
- 9- फार्म डी जारी करने से पूर्व कर निर्धारक अधिकारी से मूल प्रति पर प्रतिहस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा।
- 10- प्रयुक्त फार्म डी का विवरण निर्धारित प्रारूप में व्यापारी द्वारा दो प्रतियों में रखा जाएगा तथा, एक प्रति कर निर्धारण अधिकारी को फार्म की अगले बुकलेटों पर प्रतिहस्ताक्षर कराने के पूर्व प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात् फार्म डी कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे तथा पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे वे नाम/पदनाम की मोहर लगायेंगे। व्यापारी द्वारा रखे गये उक्त विवरण की व्यापारी की प्रति पर भी कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपनी मोहर लगाते हुए हस्ताक्षर करेंगे।
- 11- एक फार्म डी में अधिकतम एक माह के संव्यवहार का इन्द्राज किया जा सकता है जिसकी अधिकतम मौद्रिक सीमा रु0 10 लाख होगी परन्तु 25 करोड़ वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारी, राज्य सरकार/भारत सरकार के विभाग तथा राज्य सरकार/भारत सरकार के उपक्रम/निगम /कम्पनी के लिए उपरोक्त मौद्रिक सीमा लागू नहीं होगी।
- 12- फार्म डी पर हस्ताक्षर केवल वही व्यक्ति करेंगे जिनका उल्लेख उ30प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-32(6) में है अथवा टैक्स इन्वायस को अभिप्रमाणित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

